



No. F. A-12034/3/2025-E-III Section
National Council of Educational Research and Training
Sri Aurobindo Marg, New Delhi - 110 016
www.ncert.nic.in

Advertisement No. 01-2025

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

Vacancy Notice

Applications are invited from eligible officers for filling up the following various posts of Group 'A', 'B' and 'C' categories in NCERT Headquarters, New Delhi and its Constituent Units located across the country, on deputation basis on foreign service terms for a period of one year and extendable for further on year to year basis, the details are as under:

Sl. No	Group	Name of the Post	Pay Scale/Level	Number of post	Place of Posting
1	A	Chief Production Officer	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 7600/-	1	Pub. Division New Delhi
2	A	Art Officer	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 6600/-	1	Pub. Division New Delhi
3	A	Business Manager	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 6600/-	2	RPDC Ahmedabad and Guwahati
4	A	Assistant Production Officer	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 5400/-	1	Pub. Division New Delhi
5	A	Assistant Business Manager	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 5400/-	1	Pub. Division New Delhi
6	A	Senior Engineer	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 6600/-	1	CIET New Delhi
7	B	Store Officer	PB-II, Rs. 9300-34800 GP 4600/-	2	NIE New Delhi
8	B	Foreman	PB-II, Rs. 9300-34800 GP 4200/-	3	NIE New Delhi
9	B	Editorial Assistant	PB-II, Rs. 9300-34800 GP 4200/-	2	Pub. Division Post (English- I, Hindi-I) New Delhi
10	B	Assistant Store Officer	PB-II, Rs. 9300-34800 GP 4200/-	1	NIE New Delhi
11	B	Artist Gr.-II	PB-II, Rs. 9300-34800 GP 4200/-	1	Pub. Division New Delhi
12	C	Semi Professional Assistant	PB-I, Rs. 5200-20200 GP 2800/-	4	LDD(NIE) New Delhi
13	C	Store Keeper Gr.-I	PB-I, Rs. 5200-20200 GP 2800/-	8	NIE New Delhi
14	C	Jr. Foreman	PB-I, Rs. 5200-20200 GP 2800/-	9	NIE New Delhi (DEK)
15	C	Fine Mechanic	PB-I, Rs. 5200-20200 GP 2400/-	7	NIE New Delhi (DEK)
16	C	Senior Libaray Attendant	PB-I, Rs. 5200-20200 GP 1900/-	1	NIE New Delhi

Age Limit: Not exceeding 56 years.

Eligible and willing officers may apply through proper channel in the prescribed format as Annexure-I along with vigilance clearance, integrity certificate, and attested copies of APARs for the last five years.

The complete application should reach to the Under Secretary, E-III Section, NCERT, Sri Aurobindo Marg, New Delhi - 110016 within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News in the enclosed proforma. Applications received after the due date or without the required documents shall not be considered and no communication shall be entertained in this regard.

Detail Advertisement & application Proforma for the posts, eligibility conditions, pay scales, and other terms and conditions are available on the official website of NCERT at www.ncert.nic.in in >Announcements > vacancies > Non-Academic.

Application Proforma for the Post to be Filled on Deputation Basis
(To be filled in by the applicant and forwarded through proper channel)

Annexure-I

1. Name of the post applied for: _____

2. Name (in block letters): _____

3. Date of Birth (in DD/MM/YYYY): _____

4. Present Post:

a) Designation: _____

b) Name of the Office/Department: _____

c) Present Pay Level (as per 7th CPC): _____

d) Basic Pay: ₹ _____

Self-attested
latest passport
size photograph

5. Whether the post is held on regular / ad-hoc / deputation / contract basis: _____

6. Date of appointment to the present post: _____

7. Service to which the officer belongs (e.g., CSS/CSCS/State Govt./Autonomous Body etc.): _____

8. Educational Qualifications:

Exam	Year of passing	Subjects	Mark obtained	Total marks	Percentage

9. Details of experience (in chronological order):

Sl. No.	Name of Office/Organization	Post Held	From (DD/MM/YYYY)	To (DD/MM/YYYY)	Pay Level/Scale	Nature of Duties
1						
2						
3						

10. Any training/course done related to the post: _____

11. Whether educational and other qualifications required for the post are possessed (Yes/No): _____

12. Additional information, if any: _____

13. Address for correspondence (with PIN): _____

14. Contact Details:

Mobile No.: _____

Email ID: _____

Declaration by the Applicant

I certify that the information furnished above is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I have carefully read the eligibility conditions for the post and eligible as per the terms of deputation.

Date: _____

Signature of the Applicant: _____

Place: _____

Name: _____

Certificate To Be Furnished by the Employer/Head of Office/Forwarding Authority

Certified that the particulars furnished by Shri/Smt./Ms. _____ are correct and he/she possesses all educational qualifications and experience as mentioned in the vacancy circular as per his/her service record.

1. Also Certified that:-

- i. There is no vigilance or disciplinary case pending or contemplated against Shri/Smt. Ms. _____.
- ii. His/her Integrity is certified and found beyond doubt.
- iii. Duly attested Photocopies of ACRs / APARs for the last five years (2020-21 to 2024-25) are enclosed.
- iv. *This is certified that no major/minor penalty has been imposed on him/her during the last ten years.
- v. *A list of major/minor penalties imposed on him/her during the last ten years is enclosed.
(*Strike out which is not applicable).

2. The Overall grading/numerical grading given in the ACRs/APAR of the applicant for the last five years are as under:-

Year	Overall grading/numerical grading {on a scale of Zero (0) to ten (10)}
2020-21	
2021-22	
2022-23	
2023-24	
2024-25	

Signature of the Forwarding Authority

Name and Designation

Official Seal

Complete Office Address

Email address of the Forwarding Authority

Telephone Number/Fax No. of the Forwarding Authority

Date:

Place

List of enclosures:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.



**National Council of Educational Research and Training
Sri Aurobindo Marg, New Delhi – 110 016**

www.ncert.nic.in

(An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Government of India)

QR CODE

Advertisement No. 01-A-12034/3/2025-E-III Section

Dated: _____

**VACANCY NOTICE
ADVERTISEMENT NO. 01/2025**

The opening date and closing date for receipt of online applications are as under :-

Opening Date for Submission of offline Applications :- _____

Closing Date for Submission of Online Applications :- _____

Applications are invited from eligible officers for filling up the following various posts of Group 'A', 'B' and 'C' categories in the NCERT Headquarters, New Delhi and its Constituent Units located across the country, on deputation basis on foreign service terms for a period of one year and extendable for further year to year basis, the details are as under:-

Sl. No	Group	Name of the Post	Pay Scale/Level	Number of post	Mode of Recruitment	Place of Posting
1	A	Chief Production Officer	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 7600/-	1	Deputation	Pub. Division Post
2	A	Art Officer	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 6600/-	1	Deputation	Pub. Division Post
3	A	Business Manager	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 6600/-	2	Deputation	RPDC Ahmedabad and Guwahati posts
4	A	Assistant Production Officer	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 5400/-	1	Deputation	Pub. Division Post
5	A	Assistant Business Manager	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 5400/-	1	Deputation	Pub. Division Post
6	A	Senior Engineer	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 6600/-	1	Deputation	CIET Post
7	B	Store Officer	PB-II, Rs. 9300-34800 GP 4600/-	2	Deputation	NIE Posts
8	B	Foreman	PB-II, Rs. 9300-34800 GP 4200/-	3	Deputation	NIE Posts
9	B	Editorial Assistant	PB-II, Rs. 9300-34800 GP 4200/-	2	Deputation	Pub. Division Post (English-I, Hindi-I)
10	B	Assistant Store Officer	PB-II, Rs. 9300-34800 GP 4200/-	1	Deputation	NIE Post
11	B	Artist Gr.-II	PB-II, Rs. 9300-34800 GP 4200/-	1	Deputation	Pub. Division Post
12	C	Semi Professional Assistant	PB-I, Rs. 5200-20200 GP 2800/-	4	Deputation	LDD(NIE) Posts
13	C	Store Keeper Gr.-I	PB-I, Rs. 5200-20200 GP 2800/-	8	Deputation	NIE Posts
14	C	Jr. Foreman	PB-I, Rs. 5200-20200 GP 2800/-	9	Deputation	NIE Posts (DEK)
15	C	Fine Mechanic	PB-I, Rs. 5200-20200 GP 2400/-	7	Deputation	NIE Posts (DEK)
16	C	Senior Libaray Attendant	PB-I, Rs. 5200-20200 GP 1900/-	1	Deputation	NIE Post

The applicants are advised to visit NCERT's website <https://www.ncert.nic.in> >Announcements > vacancies > Non-Academic -vacancies to check the detailed advertisement Details Advertisement & Performa regarding the posts, eligibility conditions, pay scales, and other terms and conditions or scan the QR code and to confirm eligibility as per the Recruitment Rules of the indenting departments for the above vacancies. The date of Interview will be intimated in due course only through the website of the Council.

ADVERTISEMENT NO. 01/2025

The details regarding name of the posts number of vacancies, educational qualifications (essential / desirable), experience required (essential/desirable), pay scale, age limit etc. as per the Recruitment on deputation basis on foreign service terms for a period of one year and extendable further year to year basis are as under:

Sl. No.	Post	Pay Scale	Number of vacancy	Qualification required
1	Chief Production Officer (Group-A)	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 7600/-	1	<p>By deputation from the Officials of the Central Govt./State Govt./Central Autonomous organization holding analogous post on regular basis in the parent cadre</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Officers having 05 years regular service in posts drawing Grade Pay Rs 6600 and having the requisite educational qualification for direct recruitment.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>
2	Art Officer (Group-A)	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 6600/-	1	<p>By deputation from the Officials of the Central Govt./State Govt./Central Autonomous organization holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Officers having 05 years regular service in the post drawing Grade Pay of Rs 5400 and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be</p>

				<p>service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>
3	Business Manager (Group-A)	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 6600/-	2	<p>By deputation from the Officials of the Central Govt./State Govt./Central Autonomous organization holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Officers having 05 years regular service in the post drawing Grade Pay of Rs 5400 and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>
4	Assistant Production Officer (Group-A)	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 5400/-	1	<p>By deputation from the Officials of the Central Govt./State Govt./Central Autonomous organization holding analogous post on regular basis in the parent cadre</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Officers possessing the requisite educational qualification for direct recruitment and having 08 years regular service in the Grade Pay of Rs 4200/- / having 03 years regular service in the Grade Pay of Rs 4600/- /having 02 years regular service in the Grade Pay of Rs. 4800/-.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the</p>

	Assistant Business Manager (Group-A)	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 5400/-	1	<p>By deputation from the Officials of the Central Govt./State Govt./Central Autonomous organization holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department and possessing the requisite educational qualification for direct recruitment</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Officers possessing the requisite educational qualification for direct recruitment and having 08 years regular service in the Grade Pay of Rs 4200/- /having 03 years regular service in the Grade Pay of Rs 4600/- /having 02 years regular service in the Grade Pay of Rs. 4800/-.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>
6	Senior Engineer (Group-A)	PB-III, Rs. 15600-39100 GP 6600/-	1	<p>Officers of the Central Government / State Government / Union Territory / Public Sector Undertakings / Autonomous Organizations: holding analogous post on regular basis;</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>5 years regular service in the Grade Pay of Rs. 5400 and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder cadre who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be "Not exceeding 56 years" as on the closing date of receipt of application. 156</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.</p>
7	Store Officer (Group-B)	PB-II, Rs. 9300-34800 GP 4600/-	2	<p>By deputation from the Officials of the Central Govt./State Govt./Central Autonomous organization holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Officers having 05 years regular service in the post drawing Grade Pay</p>

of Rs. 4200 and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

8	Foreman	PB-II, Rs. 9300-34800 GP 4200/-	3	By deputation from the Officials of the Central Govt./State Govt./Central Autonomous organization holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department and possessing the following educational qualification OR Officers having 06 years regular service in the post drawing Grade Pay of Rs. 2800 and possessing the following educational qualification.. Essential: 1. Degree in Mechanical/ Electrical/ Production Engineering with three years experience in a supervisory capacity. OR 2. Passed 12th standard with three (3) years Diploma in Mechanical/ Electrical/ Production Engineering with 5 (five) years experience in the appropriate trade. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications. Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
9	Editorial Assistant	PB-II, Rs. 9300-34800 GP 4200/-	2	By deputation from the Officials of the Central Govt./State Govt./Central Autonomous organization holding analogous post on regular basis in the parent cadre OR Officers having 06 years regular service in the post drawing Grade Pay of Rs 2800 and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment.

				<p>direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>
10	Assistant Store Officer	PB-II, Rs. 9300-34800 GP 4200/-	1	<p>By deputation from the Officials of the Central Govt./State Govt./Central Autonomous organization holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Officers having 06 years regular service in the post drawing Grade Pay of Rs. 2800 and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>
11	Artist Gr.-II	PB-II, Rs. 9300-34800 GP 4200/-	1	<p>By deputation from the Officials of the Central Govt./State Govt./Central Autonomous organization holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Officers having 05 years regular service in the post drawing Grade Pay of Rs 2800 and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in</p>

another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

12	Semi Professional Assistant	PB-I, Rs. 5200-20200 GP 2800/-	4	<p>By deputation from the Officials of the Central Govt./State Govt./Central Autonomous organization holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment i.e. Essential: i) B. Lib. Sc. /B.L.I. Sc./ Graduation with Library Science /Information Science as one of the subject with 50% marks Desirable : 1) Two (2) years experience in the field of library & information science. 2) Knowledge of library software.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Officers having 03 years regular service in the post drawing Grade Pay of Rs. 1900 and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment i.e. Essential: i) B. Lib. Sc. /B.L.I. Sc./ Graduation with Library Science /Information Science as one of the subject with 50% marks Desirable : 1) Two (2) years experience in the field of library & information science. 2) Knowledge of library software.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>
13	Store Keeper Gr.-I	PB-I, Rs. 5200-20200 GP 2800/-	8	<p>By deputation from the Officials of the Central Govt./State Govt./Central Autonomous organization holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Officers having 05 years regular service in the post drawing Grade Pay of Rs. 2400 and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be</p>

				<p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>
14	Junior Foreman	PB-I, Rs. 5200-20200 GP 2400/-	9	<p>By deputation from the Officials of the Central Govt./State Govt./Central Autonomous organization holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Officers having 05 years regular service in the post drawing Grade Pay of Rs. 2400 and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment..</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>
15	Fine Mechanic	PB-I, Rs. 5200-20200 GP 2400/-	7	<p>By deputation from the Officials of the Central Govt./State Govt./Central Autonomous organization holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Officers having 08 years regular service in the post drawing Grade Pay of Rs. 1900 and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment..</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age</p>

				<p>limit for appointment by deputation shall be not exceeding 30 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>
16	Senior Library Attendant	PB-I, Rs. 5200-20200 GP 1900/-	1	<p>By deputation from the Officials of the Central Govt./State Govt./Central Autonomous organization holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment.</p> <p>OR</p> <p>Officers having 06 years regular service in the post drawing Grade Pay of Rs. 1800 and possessing the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>

*The above vacancies are tentative and it may be increase/decrease in any time.

Eligible and willing officers may apply through proper channel in the prescribed format along with vigilance clearance, integrity certificate, and attested copies of APARs for the last five years.

The eligible candidates may send their application duly signed along with self-attested copies of qualification/ experience/ Caste certificate with the latest passport size photograph pasted on application in Annexure I & II through Proper Channel to the Under Secretary, E-III Section, NCERT, Sri Aurobindo Marg, New Delhi - 110016 within 30 days from the date of publication for this advertisement in the Employment News in the enclosed proforma. The employer, while forwarding such application, should send Vigilance Clearance Certificate and attested copies of ACR of the employee for the last five years. Incomplete applications/applications received after due date/ will not be entertained. Application would not be received by hand / in person. Applications not forwarded through proper channel or those received without the requisite certificates and necessary documents will not be entertained.



सं. एफ.ए-12034/3/2025-ई-III अनुभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली - 110016
www.ncert.nic.in

विज्ञापन संख्या 01-2025

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

रिक्ति सूचना

एनसीईआरटी मुख्यालय, नई दिल्ली और देश भर में स्थित इसकी संघटक इकाइयों में समूह 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों को अन्यत्र सेवा शर्तों पर एक वर्ष की अवधि के लिए भरने के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस अवधि को साल-दर-साल आगे बढ़ाया जा सकता है। विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	समूह	पद का नाम	वेतनमान/स्तर	पदों की संख्या	नियुक्ति का स्थान
1	ए	मुख्य उत्पादन अधिकारी	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 7600/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
2	ए	कला अधिकारी	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
3	ए	व्यवसाय प्रबंधक	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	2	आरपीडीसी अहमदाबाद और गुवाहाटी
4	ए	सहायक उत्पादन अधिकारी	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 5400/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
5	ए	सहायक व्यवसाय प्रबंधक	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 5400/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
6	ए	वरिष्ठ अभियंता	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	1	सीआईईटी, नई दिल्ली
7	बी	भंडार अधिकारी	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/-	2	एनआईई, नई दिल्ली
8	बी	फोरमैन	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	3	एनआईई, नई दिल्ली

9	बी	संपादकीय सहायक	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	2	प्रकाशन प्रभाग पद (अंग्रेजी-1, हिंदी-1), नई दिल्ली
10	बी	सहायक भंडार अधिकारी	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	1	एनआईई, नई दिल्ली
11	बी	कलाकार ग्रेड-II	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
12	सी	अर्ध व्यावसायिक सहायक	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	4	पुस्तकालय और प्रलेखन प्रभाग (एनआईई), नई दिल्ली
13	सी	भंडारपाल ग्रेड-I	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	8	एनआईई, नई दिल्ली
14	सी	कनिष्ठ फोरमैन	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	9	एनआईई, नई दिल्ली (शैक्षिक किट प्रभाग)
15	सी	कुशल मैकेनिक	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/-	7	एनआईई, नई दिल्ली (शैक्षिक किट प्रभाग)
16	सी	वरिष्ठ पुस्तकालय परिचर	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 1900/-	1	एनआईई, नई दिल्ली

आय सीमा : अधिकतम 56 वर्षों

पात्र और इच्छुक अधिकारी अनुलग्नक-I के अनुसार निर्धारित प्रारूप में उचित माध्यम से सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र और पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

पूरा आवेदन पत्र इस विज्ञापन के रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अवर सचिव, स्थापना-III अनुभाग, एनसीईआरटी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली – 110016 के पते पर पहुँच जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद अथवा अपेक्षित दस्तावेज के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और इससे संबंधित किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

पदों, पात्रता शर्तों, वेतनमान और अन्य निबंधन और शर्तों के लिए विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट www.ncert.nic.in के अंतर्गत >घोषणाएँ> रिक्तियाँ > गैर-शैक्षणिक पर उपलब्ध हैं।

प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने वाले पद हेतु आवेदन प्रपत्र
(आवेदक द्वारा भरकर उचित माध्यम से भेजा जाए)

1. आवेदित पद का नाम: _____

2. नाम (स्पष्ट अक्षरों में): _____

3. जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष में): _____

4. वर्तमान पद :

a) पदनाम: _____

b) कार्यालय/विभाग का नाम: _____

c) वर्तमान वेतन स्तर (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार): _____

d) मूल वेतन: ₹ _____

स्व-सत्यापित
नवीनतम पासपोर्ट
आकार का
फोटोग्राफ

5. क्या पद नियमित/एड-हॉक/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है: _____

6. वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि: _____

7. अधिकारी जिस सेवा से संबंधित है (जैसे, सीएसएस/सीएससीएस/राज्य सरकार / स्वायत्त निकाय आदि): _____

8. शैक्षिक अर्हता:

परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	प्राप्तांक	कुल अंक	प्रतिशत

9. अनुभव का विवरण (कालानुक्रम के अनुसार):

क्रम संख्या	कार्यालय/संगठन का नाम	धारित पद	(दिन/माह/वर्ष) से	(दिन/माह/वर्ष) तक	वेतन स्तर/ वेतनमान	ड्यूटी का प्रकार
1						
2						
3						

10. पद से संबंधित कोई प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम:

11. क्या आपके पास पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ हैं (हाँ/नहीं): _____

12. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो:

13. पत्राचार का पता (पिन सहित):

14. संपर्क विवरण :

मोबाइल नंबर: _____

ईमेल आईडी: _____

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं प्रमाणित करती/करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सटीक और पूर्ण है। मैंने पद से संबंधित पात्रता शर्तों ध्यानपूर्वक से पढ़ ली हैं और मैं प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार पात्र हूँ।

दिनांक: _____

आवेदक के हस्ताक्षर: _____

स्थान: _____

नाम: _____

नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/सुश्री/श्री _____ द्वारा दिए गए विवरण सटीक हैं और उनके सेवा रिकॉर्ड के अनुसार रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित उन्हें सभी शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव प्राप्त हैं।

1. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:-

- i. श्रीमती/सुश्री/श्री _____ के विरुद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है।
- ii. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित और असंदिग्ध है।
- iii. पिछले पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) की एसीआर/एपीएआर की विधिवत सत्यापित फोटोप्रति संलग्न हैं।
- iv. *यह प्रमाणित किया जाता है कि पिछले दस वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ा/छोटा दंड नहीं लगाया गया है।
- v. *पिछले दस वर्षों के दौरान उन पर लगाए गए बड़े/छोटे दंडों की सूची संलग्न है।
(*जो लागू न हो उसे काट दें)

2. पिछले पाँच वर्षों में आवेदक की एसीआर/एपीएआर में दी गई समग्र ग्रेडिंग/संख्यात्मक ग्रेडिंग इस प्रकार है :-

वर्ष	समग्र ग्रेडिंग/संख्यात्मक ग्रेडिंग {शून्य (0) से दस (10) के पैमाने पर}
2020-21	
2021-22	
2022-23	
2023-24	
2024-25	

अग्रेषण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम	
आधिकारिक मुहर	
पूरा कार्यालय पता	
अग्रेषण प्राधिकारी का ईमेल पता	
अग्रेषण प्राधिकारी का टेलीफोन नंबर/फैक्स नंबर	

दिनांक:

स्थान:

संलग्नकों की सूची:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली - 110016

www.ncert.nic.in

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

क्यार कोड

विज्ञापन संख्या 01-ए-12034/3/2025-ई-III अनुभाग

दिनांक: _____

रिक्ति सूचना

विज्ञापन संख्या 01/2025

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की आरंभिक और अंतिम तिथि निम्नानुसार है: -

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि :- _____

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- _____

एनसीईआरटी मुख्यालय, नई दिल्ली और देश भर में स्थित इसकी संघटक इकाइयों में समूह 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों को अन्यत्र सेवा शर्तों पर एक वर्ष की अवधि के लिए भरने के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस अवधि को साल-दर-साल आगे बढ़ाया जा सकता है। विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	समूह	पद का नाम	वेतनमान/स्तर	पदों की संख्या	नियुक्ति का स्थान
1	ए	मुख्य उत्पादन अधिकारी	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 7600/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
2	ए	कला अधिकारी	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
3	ए	व्यवसाय प्रबंधक	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	2	आरपीडीसी, अहमदाबाद और गुवाहाटी
4	ए	सहायक उत्पादन अधिकारी	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 5400/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
5	ए	सहायक व्यवसाय प्रबंधक	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 5400/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
6	ए	वरिष्ठ अभियंता	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	1	सीआईईटी, नई दिल्ली
7	बी	भंडार अधिकारी	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/-	2	एनआईई, नई दिल्ली
8	बी	फोरमैन	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	3	एनआईई, नई दिल्ली
9	बी	संपादकीय सहायक	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	2	प्रकाशन प्रभाग पद (अंग्रेजी-1, हिंदी-1), नई दिल्ली
10	बी	सहायक भंडार अधिकारी	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	1	एनआईई, नई दिल्ली
11	बी	कलाकार ग्रेड-II	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
12	सी	अर्ध व्यावसायिक सहायक	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	4	पुस्तकालय और प्रलेखन प्रभाग (एनआईई), नई दिल्ली

13	सी	भंडारपाल ग्रेड-I	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	8	एनआईई, नई दिल्ली
14	सी	कनिष्ठ फोरमैन	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	9	एनआईई, नई दिल्ली (शैक्षिक किट प्रभाग)
15	सी	कुशल मैकेनिक	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/-	7	एनआईई, नई दिल्ली (शैक्षिक किट प्रभाग)
16	सी	वरिष्ठ पुस्तकालय परिचर	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 1900/-	1	एनआईई, नई दिल्ली

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे एनसीईआरटी की वेबसाइट <https://www.ncert.nic.in> >घोषणाएँ > रिक्तियाँ > गैर-शैक्षणिक पर जाकर पदों, पात्रता शर्तों, वेतनमानों और अन्य निबंधन और शर्तों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन और प्रोफॉर्म देखें या क्यूआर कोड स्कैन करें और उपर्युक्त रिक्तियों के लिए इच्छुक विभागों के भर्ती नियमों के अनुसार पात्रता की पुष्टि करें। साक्षात्कार की तिथि की सूचना परिषद की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय दी जाएगी।

विज्ञापन संख्या 01/2025

पदों के नाम, रिक्तियों की संख्या, शैक्षिक अर्हताएँ (अनिवार्य/वांछनीय), अनुभव (अनिवार्य/वांछनीय), वेतनमान, आयु सीमा आदि विवरण, प्रतिनियुक्ति आधार पर/अन्यत्र सेवा शर्तों के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए तथा आगे कार्य निष्पादन के आधार पर बढ़ाए जाने की संभावना के अनुसार निम्नवत हैं।

क्रम संख्या	पद	वेतनमान	रिक्तियों की संख्या	अपेक्षित अर्हता
1	मुख्य उत्पादन अधिकारी (समूह-ए)	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 7600/-	1	प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹ 6600 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों। टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

				<p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
2	कला अधिकारी (समूह-ए)	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	1	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों। अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹ 5400 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
3	व्यवसाय प्रबंधक (समूह-ए)	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	2	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों। अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹ 5400 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,</p>

				<p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
4	सहायक उत्पादन अधिकारी (समूह-ए)	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 5400/-	1	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों।</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹4200 में 08 वर्ष की/₹4600 में 03 वर्ष की/₹4800 में 02 वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
5	सहायक व्यवसाय प्रबंधक (समूह-ए)	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 5400/-	1	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों।</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹4200 में 08 वर्ष की/₹4600 में 03 वर्ष की/₹4800 में</p>

				<p>02 वर्ष की नियमित सेवा की हो</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
6	वरिष्ठ अभियंता (समूह-ए)	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	1	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹ 5400 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
7	भंडार अधिकारी	वेतन बैंड-II, ₹9300-	2	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केंद्र सरकार / राज्य सरकार /</p>

(समूह-बी)	34800 ग्रेड वेतन 4600/-		<p>केंद्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹4200 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
8	फोरमैन वेतन बैंड-II, ₹9300- 34800 ग्रेड वेतन 4200/-	3	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों अथवा</p> <p>जिन अधिकारियों ने इस पद पर 06 साल की नियमित सेवा की हो और जिनका ग्रेड वेतन ₹2800 हो और जिनके पास निम्नवत शैक्षिक अर्हता हो।</p> <p>अनिवार्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> पर्यवेक्षी क्षमता में तीन साल के अनुभव के साथ मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या उचित ट्रेड में 5 (पाँच) साल के अनुभव के साथ मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में तीन (3) साल के डिप्लोमा के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p>

				<p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
9	संपादकीय सहायक	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	2	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों।</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹2800 में 06 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
10	सहायक भंडार अधिकारी	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	1	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों।</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹2800 में 06 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>

				<p>नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
11	कलाकार ग्रेड-II	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	I	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों।</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹2800 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर ग्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
12	अर्ध व्यावसायिक सहायक	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	4	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों। अर्थात्</p> <p>अनिवार्य :</p> <p>पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में से किसी एक विषय के रूप में 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>1) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में दो (02) वर्ष का अनुभव।</p>

			<p>2) पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का ज्ञान</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹1900 में 03 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों</p> <p>अर्थात्</p> <p>अनिवार्य:</p> <p>पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में से एक विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक</p> <p>चांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में दो (02) वर्ष का अनुभव। 2) पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का ज्ञान <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
13	भंडारपाल ग्रेड-I	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	<p>8</p> <p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹2400 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम</p>

				56 वर्ष होगी
				<p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
14	कनिष्ठ फोरमैन	वेतन बैंड-1, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/-	9	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल कांडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹2400 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संबर्ग-जाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
15	कुशल मैकेनिक	वेतन बैंड-1, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/-	7	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल कांडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹1900 में 08 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र</p>

				<p>सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
16	वारिष्ठ पुस्तकालय परिचर	वेतन बैंड-1, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 1900/-	1	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों।</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹1800 में 06 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>

* उपर्युक्त रिक्तियाँ अनंतिम हैं तथा इनमें किसी भी समय वृद्धि/कमी की जा सकती है।

योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सतर्कता अनापत्ति, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र तथा पिछले पाँच वर्षों की एसीआर/एपीएआर की सत्यापित प्रतियों सहित अग्रेषित किया जाना आवश्यक है।

पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र, नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ, अर्हता/अनुभव/ जाति प्रमाणपत्रों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करते हुए संलग्न प्रपत्र में रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर उप सचिव (स्थापना-III अनुभाग), एनसीईआरटी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली - 110016 के पते पर भेजें। आवेदन भेजते समय नियोक्ता द्वारा आवश्यक सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा पिछले पाँच वर्षों की एसीआर/एपीएआर की सत्यापित प्रतियाँ अनिवार्य रूप से भेजी जानी चाहिए। अपूर्ण आवेदन, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन तथा आवश्यक प्रमाणपत्रों एवं दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। हाथों/हाथ/व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकार नहीं किए जाएँगे। उचित माध्यम से अग्रेषित न किए गए आवेदन तथा आवश्यक प्रमाणपत्रों एवं सुसंगत दस्तावेज के बिना प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।